इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक २ सितम्बर २०२२-भाद्र ११, शक १९४४

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश
- (ग) (1) प्रारूप नियम,
- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.

- (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
- (3) संसद् के अधिनियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)-कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक २९ अगस्त २०२२

एफ 14—82—1988—दस—2.— वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 28 के साथ पठित धारा 64 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 34 (साधारण मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 27 अगस्त 2021 द्वारा संशोधित एवं प्रकाशित) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

ऑनलाईन अनुज्ञा पत्रों को जारी किया जाने संबंधी उप नियम 4 के पश्चात् उपनियम 4(क) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :--

4(क) गोल्डन टाइगर पास

- (i) पर्यटकों / पर्यटक समूहों जो भारत अथवा विदेशों से लंबी अविध के प्रवास हेतु मध्यप्रदेश आते हैं तथा मध्यप्रदेश और इसकी वन्यप्राणी धरोहर को संपूर्णता में देखना / अनुभव करना चाहते हैं। ऐसे इच्छुक पर्यटकों हेतु गोल्डन टाइगर पास जारी किये जाएंगे।
- (ii) प्रत्येक पर्यटन वर्ष 36 अनुज्ञा पत्र गोल्डन टाइगर पास के रूप में जारी किये जायेंगे।
- (iii) पर्यटन वर्ष हेतु ऑनलाईन बुकिंग प्रारम्भ होते ही गोल्डन टाइगर पास ऑनलाईन उपलब्ध करा दिये जायेंगे।
- (iv) गोल्डन टाइगर पास एक पर्यटन वर्ष (अक्टूबर से जून) वैधता वाले पर्यटन अनुज्ञा पत्र होंगे तथा वे जिस व्यक्ति/व्यक्ति समूहों के नाम से जारी किये जाएंगे वे इस अविध के दौरान मध्य प्रदेश के किसी भी वन्यप्राणी पर्यटन क्षेत्र में (टाइगर रिजर्व के कोर एवं बफर क्षेत्र अन्य अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, वन विभाग द्वारा संचालित चिड़ियाघर) पर्यटन दिवसों में पर्यटन हेतु असीमित बार प्रवेश कर सकेंगे।
- (v) गोल्डन टाइगर पास धारक पास क्रय करते समय अधिकतम 10 व्यक्तियों को पंजीकृत कर सकता है। पर्यटन वर्ष में एक बार उक्त पंजीकृत व्यक्तियों के नाम परिवर्तन करने की सूचना संबंधित क्षेत्र के भार साधक अधिकारी को देकर नाम परिवर्तित किया जा सकेगा। धारक सिंदत अधिकतम 6 व्यक्तियों को एक बार में पास उपयोग करने की अनुमति होगी, व प्रत्येक भ्रमण में धारक की उपस्थित अनिवार्य होगी। पास धारक अपने वाहन में पंजीकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य किसी को अंदर नहीं ले जा सकेगा।
- (vi) गोल्डन टाइगर पासधारी पर्यटकों को सफारी के दो दिवस पहले शाम 5 बजे के पूर्व ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने लिये स्लॉट ब्लॉक करना होगा।

- (vii) जिन वन्यप्राणी पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों हेतु एक से अधिक पर्यटन जोन हैं उनमें गोल्डन टाइगर पासधारी पर्यटक एक दिवस में किसी भी एक जोन का चयन कर सकेंगे।
- (viii) गोल्डन टाइगर पास धारी व्यक्ति/समूह पर्यटन के दौरान उन समस्त नियमों का पालन करेंगे जो पर्यटकों हेतु निर्धारित हैं।
- (ix) गोल्डन टाइगर पास प्राप्त करने की दर प्रीमियम दिवसों में टाइगर रिजर्ख़ के कोर क्षेत्रों हेतु निर्धारित दर का 25 गुना होगी। विदेशी पर्यटकों हेतु गोल्डन टाइगर पास की दर भारतीयों हेतु निर्धारित दर की दुगनी होगी।
- (x) गोल्डन टाइगर पास योजना के तहत प्राप्त राशि प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बराबर रूप से विकास निधि खाते में हस्तांतरित की जावेगी।

उक्त संशोधन 01 अक्टूबर 2022 से प्रवृत्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पद्मप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल, दिनांक २९ अगस्त २०२२

एफ 14-82-1988-दस-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 14-82-1988-दस-2, दिनांक 29 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पद्मप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal, the 29th August 2022

F 14-82-1988-X-2: In exercise of the powers conferred by sub section (1) and clause (h) of Sub-Section (2) of Section 64, read with Section 28 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules, 1974, namely:

AMENDMENTS

In the said rule Wildlife (Protection) Rule, 1974, Rule-34 (As amended and published in M.P. State Gazetteer ordinary 27th August 2021) is amended as follows:-

After the sub rules 4 issuing online permits, the following sub rule 4(A) shall be added:-

4 (A) Golden Tiger Pass

- i. Tourists/tourist groups who come to Madhya Pradesh for long term stay from India or abroad and want to see/experience Madhya Pradesh and its wildlife heritage in its entirety. For such interested tourists Golden Tiger Passes will be issued.
- ii. In every Tourism year, 36 permits will be issued in the form of Golden Tiger Pass from Field Director Quota.
- iii. Golden Tiger Passes will be made available online for the tourism year as soon as the online booking for the tourism year starts.
- iv. Golden Tiger Passes will be tourism permits with a validity period of one tourism year (October to June). Persons/Group of persons with valid Golden tiger passes will have unlimited entries in any wildlife tourism area of Madhya Pradesh (Core & Buffer areas of Tiger Reserve, other Sanctuaries and National parks, Zoo's run by the Forest Department) during the period.
- v. The holder of the Golden Tiger pass can register a maximum of 10 persons when buying the pass. Names of the registered persons can be changed once in a tourism year by informing the authorised officer of the jurisdiction. A maximum of 6 persons including the holder will be permitted to use the pass at a time. The presence of the holder shall be compulsory in each trip. The pass holder will not be able to take anyone other than the registered person in his vehicle.
- vi. Tourists holding Golden Tiger pass will have to block the slot for themselves by visiting the online portal before 5 pm, two days prior to the safari.

- vii. In the wildlife tourist areas where there is more than one tourist zone for tourists, tourists with Golden Tiger pass will be able to choose any one zone per day.
- viii. Individuals/groups holding Golden Tiger Pass will follow all the rules that are prescribed for tourists.
- ix. The rate for Golden Tiger Pass will be 25 times the existing rate prescribed for core areas of Tiger Reserves on premium days. The rate of Golden Tiger Pass for foreign tourists will be twice the rate fixed for Indians
- x. The amount received under the Golden Tiger Pass scheme will be equally transferred to the development fund account in the Tiger Reserve of the state.

The above amendments will come into force from October 01, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.